न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उप जिला मजिस्ट्रेट शाहपुरा जिला जयपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्री मनमोहन मीना, आर ए एस

वाद पत्र संख्या :– 16/2023

उनवान

1. प्रेमदेवी पत्नि श्री मांगूराम जाति बलाई निवासी ढाणी जयगुरूदेव वाली तन गोविन्दपुरा बासडी तहसील शाहपुरा जिला जयपुर

प्रार्थीया

बनाम

1 राजस्थान सरकार (भू–धारक) जरिये तहसीलदार तहसील शाहपुरा जिला जयपुर
2 नायब तहसीलदार उप तहसील अमरसर जिला जयपुर
3 अर्जून पुत्र देबूराम
4 आंची पत्नी लक्ष्मीनारायण
5 कैलाश पुत्र बालुराम
6 चौथू पुत्र बालुराम
7 जटाशंकर पुत्र देबूराम
8 दडकली देवी पत्नी देबूराम
9 नानूराम पुत्र गंगूराम
10 भागीरथ पुत्र गंगूराम
11 मक्खन पुत्र बालूराम
12 लक्ष्मीनारायण पुत्र गंगूराम
13 श्रवण पुत्र गंगूराम
14 सन्तोष कुमार पुत्र देबूराम
15 सुमेर पुत्र नारायण
16 हनुमान सहाय पुत्र देबूराम
17 कानाराम पुत्र जगदीश
18 झबरी पुत्री जगदीश
19 रामेश्वर पुत्र रामचन्द्र
20 लक्ष्मीनारायण पुत्र रामचन्द्र
21 श्यामलाल पुत्र जगदीश
22 सुरजी देवी पत्नी जगदीश
23 सुरजमल उर्फ सुरजा पुत्र रामचन्द्र
24 हन्सा पुत्री जगदीश
25 छगन लाल पुत्र लक्ष्मीनारायण
26 भरतरीलाल पुत्र सुरजाराम उर्फ सुरजमल
27 श्रवणी देवी पत्नी रामेश्वर
28 ओमप्रकाश पुत्र जगदीश
29 कालूराम पुत्र सुन्दर
30 गाकूल चन्द पुत्र जगदीश
31 गोविन्दा पुत्र श्योनारायण
32 बद्री पुत्र सुन्दर
33 बनवारी पुत्र सुन्दर
34 बाबूलाल पुत्र सुन्दर
35 मक्खन पुत्र जगदीश
36 मुरलीधर पुत्र सुन्दर
37 रामफल पुत्र जगदीश
38 सीताराम पुत्र जगदीश
39 आनन्दी लाल पुत्र गोविन्दराम
40 ग्यारसी देवी पत्नी किशन, जाति – अहीर
41 गिरधारी पुत्र डालू, जाति–अहीर

कार्यालय उप खण्ड अधिकारी शाहपुरा (जयपुर) राजस्थान

उप खण्ड अधिकारी
शाहपुरा (जयपुर) राजस्थान

42 पेमाराम पुत्र डालूराम
43 भागीरथ पुत्र डालू
44 मुरलीधर पुत्र नन्दाराम
45 रामावतार पुत्र सुरजमल
46 श्रवणी देवी पत्नी गिरधारी
47 सीताराम पुत्र सुरजमल
समस्त जाति अहीर समस्त निवासी बिलान्दरपुर तह0 शाहपुरा जिला जयपुर।
48 खोखलराम पुत्र बालूराम, जाति–जाट
49 ग्यारसी लाल पुत्र हीरालाल, जाति–जाट
समस्त निवासी बिलान्दरपुर तह0 शाहपुरा जिला जयपुर राजस्थान।

अप्रार्थीगण

<u>प्रा0पत्र बाबत पत्थरगढी अन्तर्गत धारा 128 एलआरएक्ट 1956</u>

निर्णय दिनांकः

प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है। प्रार्थी के द्वारा जरिये अधिवक्ता प्रार्थना पत्र पेश किया गया है कि ख.नं. 1505 रकबा 1.02 है0, वाके ग्राम बिलान्दरपुर तहसील शाहपुरा प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि स्थित है जिसका तहसीलदार शाहपुरा के आदेश कमांक/सीमा/ भू0अ0/2022/ 1816 दिनांक 6.6.2022 की पालना में दिनांक 20.6.2022 को पटवारी हल्का शाहपुरा के द्वारा सीमाज्ञान किया गया है। उक्त सीमाज्ञान दिनांक 20.6.2022 के बाद से पडौसी खातेदारान भूमि दबाना व मौका स्थिति सींव काट काट कर कब्जा करने की फिराक में है जिस कारण सीमाज्ञान के अनुसार मौके पर स्थायी सीमा पत्थरगढी करवाया जाना नितान्त आवश्यक है ।

प्रार्थी के प्रार्थना पत्र पेश होने पर रिपोर्ट सरिस्ता ली जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस सूचित किया गया तथा प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया । अप्रार्थीगण बावजूद सूचना को कोई उपस्थित नहीं आये । वकील प्रार्थी की बहस सुनी । विद्वान प्रार्थी वकील ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में बर्णित तथ्यो को जाहिर करते हुए अवगत कराया कि प्रश्नागत आराजी का पटवारी हल्का द्वारा दिनांक 20.6.2022 को सीमाज्ञान करवाया जा चुका है पडौसी काश्तकार द्वारा स्थायी चिन्ह के अभाव में प्रार्थीगण की भूमि को दबाना प्रारम्भ कर दिया है इसलिए प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर पत्थरगढी के आदेश प्रदान किय जावे।

हमने वकील प्रार्थी की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का ध्यानपूर्वक मनन किया । प्रकरण में पाया गया कि प्रश्नागत आराजी का दिनांक 20.6.2022 को पटवारी हल्का के द्वारा सीमाज्ञान किया गया है ,प्रार्थी के द्वारा अपनी भूमि की सुरक्षा एवं आस पास के खातेदारों द्वारा सीमाचिन्ह के अभाव में सींव डोल काटने से आये दिन होने वाले विवादों की वजह से पत्थरगढी करवाना चाहता है। पत्थरगढी करवाना एक खातेदार/काश्तकार का अधिकार है तथा इसके द्वारा अपनी सीमा के विवाद, सीमा दबाना आदि अनावश्यक मुकदमेबाजी से बचाव का यह एक उपाय है जिसके अभाव में काश्तकार अपनी सीमा चिन्ह से सुरक्षा आदि उपाय नहीं कर सकते है।

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र बाबत पत्थरगढी का स्वीकार किया जाकर तहसीलदार शाहपुरा को आदेशित किया जाता है कि प्राथीगण की प्रश्नागत कि ख.नं. 1505 रकबा 1.02 है0, वाके ग्राम बिलान्दरपुर तहसील शाहपुरा का पडौसी खातेदारान को सुचित करते हुए उनकी उपस्थिति में मुताबिक सीमाज्ञान दिनांक 20..6.2022 के अनुसार नियमानुसार पत्थरगढी करवावे । तदानुसार तहसीलदार शाहपुरा को आदेश जारी हो ।

निर्णय आज दिनांक ..03-04-23........ को सरै इजलास सुनाया गया ।

(मनमोहन मीणा)
उप खण्ड अधिकारी
शाहपुरा जिला जयपुर